Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्डाधिकारी (राजस्व) मुकाम .....रायसिंहनगर

औमप्रकाश आदि बनाम गोवरधन आदि

नम्बर ...28... सन् 2019

रम मुकदमा 212 आरटीएक्ट

25.04.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
25.04.2019	प्रार्थीगण की ओर से श्री सतपाल बिश्नोई अधिवक्ता ने वाद–पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी के प्रार्थना करने पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि चक 2 टीके तह. रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 10 के कि.नं. 1ता5 भूमि में से प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.05.2019 तक रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करें। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं करने पर यह स्थगन ओदश स्वतः निरस्त समझा जावे। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक में राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली दिनांक 08.05.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

08/05/19 वकील [illegible] हाजिर। [illegible] एस. साहब चुनाव/अन्य प्रश[illegible] दिनांक 10-05-19 को [illegible]

10/5/19 वकील [illegible] हाजिर। श्रीमान् एस.डी.एम. साहब चुनाव/अन्य प्रश[illegible] में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 28.05.19 को [illegible]

वकील [illegible] हाजिर। श्रीमान् एस.डी.एम. साहब चुनाव/अन्य प्रश[illegible] कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 17-7-19 को पेश हो।

28/5/19

01.07.19 वकील प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी प्रार्थना पुनः पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए नोट-प्रेस करते हैं लिहाजा प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी करना नोट प्रेस करने के कारण पुनः पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए नोट प्रेस खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.04.19 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार ग्रामाधिकारी मूल पत्र अलग रखें।

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर 1/7/19

Scanned by CamScanner